राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 86/2022

1. शीशराम पुत्र बजरंग सिंह
2. महेन्द्र सिंह पुत्र ईसरराम

   जाति जाट निवासी चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......प्रार्थीगण

ब–ना–म

1. उर्मिला पत्नी रघुवीर सिंह
2. चावली पत्नी बूटीराम
3. बूटीराम पुत्र प्रभाती
4. बिमला पत्नी महिपाल
5. महिपाल पुत्र प्रभाती
6. रघुवीर पुत्र प्रभाती
7. रामसिंह पुत्र प्रभाती
8. सविता पत्नी रामसिंह

   जाति जाट निवासी चारादास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
9. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नंगली सलेदीसिंह जरिये शाखा प्रबंधक।
10. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नानूवाली बावड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
11. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
12. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बड़ाऊ जरिये शाखा प्रबंधक।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत दिलाये जाने रास्ता

अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री आलोक मान – प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 30–06–2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 11:59:22 IST
Reason: SelfAttested

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से पेश किया गया है कि वाके ग्राम चारावास तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 385 में दर्ज ख.नं. 728 रकबा 2.24 है. के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

है एवं शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे हैं। ग्राम चारावास तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2076 लगायत 2079 के खाता सं. 316 में दर्ज ख.नं. 718 रकबा 1.64 है. भूमि के अप्रार्थी सं. 1 लगायत 8 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है और मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की भूमि खेत ख.नं. 728 में आवागमन के लिए एक रास्ता 15 फुट चौड़ा कदीम से चारावास से छावड़ी का कुआ होता हुआ सिंघाना जाने वाले आम रास्ते के उत्तर दिशा में फटकर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 8 के खेत ख.नं. 718 की पश्चिमी मियाल के सहारे–सहारे होता हुआ प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख.नं. 728 में आता है और इधर से ही प्रार्थीगण अपनी भूमि में आते जाते रहे हैं व साधन ट्रेक्टर ऊंट गाड़ी आदि लाते ले जाते रहे हैं इसके अलावा प्रार्थीगण के पास अपने खेत ख.नं. 728 में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। वर्णित रास्ते को नजरी नक्शे में लाल सुर्ख स्याही से मार्क ए से बी दर्शाया गया है प्रार्थीगण का यह रास्ता उनके पूर्वजों के समय से आवागमन के रास्ते के रूप में व साधन लाने ले जाने के काम में आता रहा है। उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 728 तक पहुंचने के लिए मौजूद है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास आने जाने व साधन ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त चाहा गया रास्ता कदीम से चालू है जिस पर अवरोध होने पर न्यायालय जिला न्यायाधीश, झुन्झुनूं ने सिविल अपील का निस्तारण करते हुये दिनांक 24.03.1972 को रास्ता काश्तकारी के माल सामान व औजारों को लाने ले जाने का माना है। प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1856 की धारा 251(क) के अनुसार प्रतिकर देने के लिये एवं भूमि के बदले भूमि भी देने का निवेदन किया तो भी उक्त अप्रार्थीगण इंकार हो गये। जबकि उक्त रास्ता प्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से ही विद्यमान रहा है और यही से ही उपयुक्त रास्ता संभव है। इसलिये यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ और प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की पालना करने के लिये तैयार व तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की वाके ग्राम चारावास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता सं. 385 में दर्ज ख.नं. 728 रकबा 2.24 है. में आने जाने वाहन ट्रेक्टर, ऊंट गाड़ी आदि लाने ले जाने के लि[illegible] रास्ता चारावास से छावड़ी का कुआ होते हुए सिंघाना जाने वाले क[illegible] अप्रार्थी सं. 1 लगायत 8 के खेत ख.नं. 718 की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे 1[illegible] फीट चौड़ाई में रास्ता दिलवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा तरमिम किया जावे व उक्त रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 11:59:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

के लिये धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित कर या भूमि के बदले भूमि उसके खातेदारों को दिलाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/1961 दिनांक 30.03.2022 से बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की है कि :–

1. प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है।
2. वैकल्पिक रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है।
3. प्रस्तावित मार्ग निकटतम अर्थात् लघुत्तम है। राजस्व ग्राम चारावास के ख.नं. 718 में 168X4 = 0.0672 है. भूमि प्रस्तावित रास्ते में आती है जो वर्तमान नक्शे लट्ठे में भी दर्शायी गई है।
4. प्रस्तावित रास्ते 0.0672 है. की डी.एल.सी. दर रू. 802000/– प्रति हैक्टेयर के हिसाब से दुगुनी राशि रू. 107790/– बनते हैं।

प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत् 2076–2079 खाता सं. 385, खाता सं. 316 ग्राम चारावास, आंशिक नजरी नक्शा ग्राम चारावास, प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा एवं फोटो प्रति दीवानी अपील सं. 8/1968 निर्णय दिनांक 24.03.1972 माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश, झुन्झुनूं पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत नंगली सलेदीसिंह का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.03.2022 के संलग्न नजरी नक्शा भू–अभिलेख निरीक्षक वृत नंगली सलेदीसिंह में स्पष्ट किया है कि प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ते की [illegible] अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त [illegible] दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को खसरा नंबर 728 [illegible] जाने हेतु खसरा नंबर 718 में से प्रस्तावित (नजरी नक्शे में लाल स्याही से) मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 4 मीटर चौड़ाई, 168 मीटर लम्बाई में 672 वर्गमीटर (0.0672 है0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 11:59:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

बनता है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 728 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी दिनांक 30.03.2022 के प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम चारावास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 728 रकबा 2.24 है. में जाने के लिए आम रास्ता ग्राम चारावास से छावड़ी का कुआ होते हुए सिंघाना जाने वाले के उत्तर दिशा में स्थित अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 8 की खातेदारी भूमि ख.नं. 718 रकबा 1.64 है. की पश्चिमी मेड के सहारे–सहारे होते हुए 4 मीटर चौड़ाई, 168 मीटर लम्बाई में पुख्ता आम रास्ता ख.नं. 728 तक नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि प्रकरण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 672 वर्गमीटर भूमि की दुगुनी राशि 1,07,790/–रू. (अक्षरे एक लाख सात हजार सात सौ नब्बे रूपये) प्रार्थीगण तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, खेतड़ी खसरा नंबर 718 के खातेदारों/अप्रार्थीगण को प्रतिकार की राशि रू. 1,07,790/– नियमानुसार अदा करेंगें। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 718 के रकबे में से रास्ते की बाबत 672 वर्गमीटरभूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म "गैर मुमकीन रास्ता" के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 30–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 11:59:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner